

न्यायालय:- श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण।

रामनगर थाना कांड संख्या-560/2023

समान्य पंजी संख्या-1882/23

सरकार बनाम् विन्ध्याचल प्रसाद एवं अन्य

आदेश

05.02.2026

अभिलेख संज्ञान हेतु आज प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र संख्या-85/26 दिनांक 31.01.2026 को अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 385, 387, 427, 504, 506/34 भा0 दं0 वि0 में अभियुक्तगण 1. ललन सिंह 2. विरेन्द्र तिवारी 3. विद्याचल प्रसाद 4. नीलम देवी 5. गौरव कुमार 6. मनीष पाण्डेय 7. रामचन्द्र केसरी 8. संतोष केसरी के विरुद्ध मूल कांड दैनिकी के साथ समर्पित किया। प्राथमिकी आरोप पत्र एवं मूल कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे अभियुक्तगण 1. ललन सिंह 2. विरेन्द्र तिवारी 3. विद्याचल प्रसाद 4. नीलम देवी 5. गौरव कुमार 6. मनीष पाण्डेय 7. रामचन्द्र केसरी 8. संतोष केसरी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 385, 387, 427, 504, 506/34 भा0 दं0 वि0 में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता हैं।

अतः आरोप पत्र के कर्णिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण 1. ललन सिंह 2. विरेन्द्र तिवारी 3. विद्याचल प्रसाद 4. नीलम देवी 5. गौरव कुमार 6. मनीष पाण्डेय 7. रामचन्द्र केसरी 8. संतोष केसरी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 385, 387, 427, 504, 506/34 भा0 दं0 वि0 में संज्ञान लिया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण के उपस्थिति हेतु समन जारी करे। दिनांक 07.03.2026 उपस्थिति हेतु नियत।

लेखापित

आलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।